झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 6750/2017

1. सुरेंद्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह

2. अजीत सिंह पुत्र स्वर्गीय कमलदेव सिंह

3. प्रदीप कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय होरिल सिंह

4. राजदेव सिंह पुत्र स्वर्गीय काली सिंह

सभी निवासी ग्राम- गुमो, वार्ड नंबर-20, डाकघर-झुमरीतेलैया, थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा ...याचिकाकर्तागण

बनाम

1.झारखंड राज्य

2. उपायुक्त, कोडरमा, डाकघर, थाना और जिला- कोडरमा

3. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, कोडरमा, डाकघर, थाना और जिला- कोडरमा

4. अंचल अधिकारी, चंदवाड़ा, डाकघर, थाना- चंदवाड़ा, जिला- कोडरमा

5. अधिशासी अभियंता, पी.डब्ल्यू.डी., हजारीबाग, डाकघर, थाना और जिला- हजारीबाग

6. अधिशासी अभियंता, आर.ई.ओ., कोडरमा, डाकघर, थाना और जिला- कोडरमा।

7. ए. डी. बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, अंबाला अशोक कुमार जैन, प्रोपराइटर, कैंप ऑफिस के माध्यम से भोंडो रोड कोडरमा केमिकल संयंत्र के पास, वार्ड नं. डाकघर एवं थाना- तिलैया, जिला- कोडरमा ... प्रतिवादीगण

प्रार्थीगणों के लिए : श्री भैया वी. कुमार, अधिवक्ता

श्री रमेश कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादीगणों के लिए : श्री संजय कुमार तिवारी , शासकीय अधिवक्ता I

श्री अंकुर कुमार, सहायक अधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता I के लिए

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनों पक्षों को सुना।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें प्रतिवादीगणों को निर्देश दिया गया है कि वे याचिकाकर्ता गणों की रैयती कृषि भूमि,खाता नंबर- 1, 2, मौजा- बंदी दिघुटू, थाना नं- 273, थाना - चंदवाड़ा, जिला- कोडरमा में स्थित 4, 5 और 6 पर सड़क निर्माण कार्य न करें, बिना इसके अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान के।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता गणों की रैयती भूमि पर मौजा- बंदी दिगथू, थाना नंबर- 273, थाना- -चौपारण, जिला- हजारीबाग (अब कोडरमा) में स्थित 25 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया है, जो खाता नंबर- 1, प्लॉट नंबर- 2, 4, 13, 24, 33, 36, 38, 46, 49 और 21 से संबंधित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 6.25 एकड़ है। खाता नंबर- 2, प्लॉट नंबर- 5, 7, 8 और 25 क्षेत्र 14.18 एकड़, खाता नंबर- 3, प्लॉट नंबर- 14, 19 और 29 कुल क्षेत्रफल 0.82 एकड़, खाता नंबर- 5, प्लॉट नंबर- 20, 23, 30, 31, 37,

45 और 46 का कुल क्षेत्रफल 6.49 एकड़, खाता नंबर- 6, प्लॉट नंबर 1, 3, 6, 11, 18, 28, 40, 42, 44, 51 और 52 का कुल क्षेत्रफल 20.96 एकड़ है; हालांकि इसे राज्य द्वारा कभी हासिल नहीं किया गया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि मूल रूप से रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्थीगणों को याचिकाकर्ताओं की रैयती कृषि भूमि पर सड़क निर्माण कार्य नहीं करने का निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई थी, लेकिन तत्काल रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, कथित सड़क का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी नंबर 3 को याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार मुआवजे का भुगतान करने के लिए उचित समय के भीतर निर्देश दिया जाए।

5. राज्य के विद्वान वकील उक्त सड़क के निर्माण पर विवाद नहीं करते हैं, लेकिन प्रस्तुत करते हैं कि पहले टूटी हुई सड़क पर एक कालीन बिछाया गया है, लेकिन प्रति-हलफनामे में कहीं भी इस बात से विशेष रूप से इनकार नहीं किया गया है कि सड़क याचिकाकर्ताओं की रैयती भूमि पर मौजूद है। ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि निर्विवाद रूप से सड़क रही है

6. याचिकाकर्ताओं की रैयती भूमि पर निर्माण के रूप में ऊपर उल्लेख किया गया है, इसके अधिग्रहण के बिना, इस रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी नंबर 3 को इस निर्देश के साथ किया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं को उस भूमि के संबंध में मुआवजे का भुगतान करे, जिस पर उनकी रैयती भूमि के संबंधित हिस्से में सड़क का निर्माण किया गया है , इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने के भीतर।

7. तदनुसार इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक 19 मार्च, 2024

यह अनुवाद (मदन मोहन प्रिय), पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।